JINDAL POLY INVESTMENT AND FINANCE COMPANY LIMITED

Corp Office: Plot No. 12, Sector B-1, Local Shopping Complex, Vasant Kunj, New Delhi-110070 Regd Off: 19th K M, Hapur Bulandshahr Road P.O.: Gulaothi, Distt.: Bulandshahr UP 245408 Tel.: 011- 40322100; E-mail: cs_jpifcl@jindalgroup.com

CIN: L65923UP2012PLC051433

Ref: JPIFCL/SE/SEPT-21/578

Date: 02nd September, 2021

The Manager Listing
BSE Limited
Phiroze Jeejeebhoy Towers,
Dalal Street, Fort,
MUMBAI – 400 001
Security Code-536773

The Manager, Listing
National Stock Exchange of
India Ltd.
Exchange Plaza,
Bandra-Kurla Complex
Bandra (E), MUMBAI - 400 051
Code -JPOLYINVST

<u>Subject: Compliance of Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure</u> Requirements), Regulations, 2015

Dear Sir,

Pursuant to Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 please find attached copies of Notice published on 2nd September, 2021 in **Financial Express, All Edition and Jansatta, Delhi Edition (Hindi)** in respect of the following:

"Process to register/update the Mail id's and Mobile no with Registrar and/or Depositories to attend 9th AGM through VC/OAVM and E- Voting thereon".

Please take the above in your records Yours Sincerely.

For Jindal Poly Investment and Finance Co. Limited

Sakshie Mendiratta Company Secretary

M No. A47271

OSBI

Corporate Centre, Nariman Point, Madame Cama Road, Mumbai - 400 021 **EMPANELMENT OF CAR HIRING COMPANIES / AGENCIES**

For provisioning of New Cars on Monthly Rental to Executives of SBI at State Bank Bhavan, Mumbai

SBI, Corporate Centre, Mumbai invites applications for Hiring of New Cars from the reputed Companies / Agencies for the purpose of providing new cars to its executives on monthly rental for a period of 36 months. The specific "Terms & Conditions" of the Bank's requirements along with the eligibility criteria for the purpose of empanelment / selection and the required Proforma of the application are available at the Bank's website

https://bank.sbi. The same may also be collected in person from State

Bank of India, Liaison Department, Mezzanine Floor, Madame Cama Road,

Mumbai-400021 Contact No. 022-22740050. Last Date for Submission of the Application: 23.09.2021 (upto 17.00 hrs) **CHIEF LIAISON OFFICER** Date: 02.09.2021



The South Indian Bank Ltd.

Regd. Office: SIB House, T.B. Road Mission Quarters, Thrissur-680001. Tel: 18004251809

Discontinuation of Corporate Agency tie-up between South Indian Bank and LIC for soliciting insurance policies

The South Indian Bank Ltd and Life Insurance Corporation of India has discontinued the existing Corporate Agency arrangement for soliciting life insurance policies of LIC through South Indian Bank w.e.f21.06.2021 The 12 year old partnership which started in 2009 was ended mutually and the customers who have taken LIC policies through South Indian Bank will get seamless services throughout their policy period.

01-09-2021 Asst. General Manager (Head - Insurance)

Regd. Office:1, Kanpur Road, Allahabad-211001

CIN: L26101UP 1971PLC003491 Email:akd@triveniglassltd.com NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING Dear Members,

members of Triveni Glass Limited will be held at Hotel Allahabad Regency, 16, Tashkent Marg, Prayagraj, U.P.- 211001, on Tuesday, 28th Day of September, 2021, At 12.00 P.M. to transact the ordinary and special businesses as set forth in the notice of AGM which was already been sent to all the members individually at their registered email addresses electronically. Notice of the meeting setting out the ordinary and special business to be transacted there at together with Audited Financial Statements for the year ended 31st March 2021, Auditor's Report, Director's Report has been sent to the members to their registered email addresses registered with the company/ Depository Participant(s). Members are hereby informed that the Notice of the meeting and the aforesaid documents are also available on the Company's website at www.triveniglassItd.com and copies of the said documents are also available for inspection at the registered office of the Company on all working days except Saturday & Sunday, during business hours up to the date of the meeting. A member entitled to attend and vote at the meeting is entitled to appoint a Proxy to attend and vote on a poll instead of himself and the proxy need not to be a member of the company. The instrument appointing proxy to be valid should be deposited at the registered office of the Company not less than 48 hours before commencement of meeting. Notice is also hereby given that pursuant to provisions of section 91 of the Companies Act 2013 and Regulation 42 of Securities Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 entered into with Stock Exchange that the Registers and Books of Share Transfer shall be closed from Wednesday 22nd September, 2021 to Tuesday, 28th September, 2021 both days inclusive.

Place: Prayagraj Date: 06.08.2021

A.K. Dhawan

By Order of the Board For Triveni Glass Limited

TRIVENI GLASS LTD

Regd. Office:1, Kanpur Road, Allahabad-211001 CIN: L26101UP 1971PLC003491 Email:akd@triveniglassltd.com NOTICE OF E-VOTING FOR ANNUAL GENERAL

MEETING ON 28.09.2021 Dear Members

Notice is hereby given that pursuant to the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules 2014 as amended and Regulation 44 of Securities Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the company is providing its members facility to exercise their right to vote on resolutions proposed to be passed in the Annual General Meeting vote through remote e-voting. The members who cast their vote by remote e-voting may attend the meeting but shall not be entitled to cast their vote again. The facility for voting through electronic system (insta poll) shall be made available at the meeting and the members attending the meeting who have not cast their vote by remote e-voting shall be able to vote at the meeting through insta poll. In case any queries/grievances relating to voting by electronic means, the members/beneficial owners may contact at the following addresses-Mr. Vikram Jha, Manager, National Securities Depository Ltd. Trade

World, 'A'Wing, 4th Floor, Kamala Mills Compound, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai-400013 Phone No. +91 22 24994545, email: vikramj@nsdl.co.in

Place: Prayagraj

JINDAL POLY INVESTMENT AND FINANCE COMPANY LTD.

CIN: L65923UP2012PLC051433 Registered Office: 19th K.M., Hapur - Bulandshahr Road, P.O. Gulaothi, Distt. Bulandshahr, Uttar Pradesh - 203408

E-mail Id: cs_jpifcl@jindalgroup.com; Website: www.jpifcl.com

Public Notice - 9"ANNUAL GENERAL MEETING This is to inform thatthe 9"Annual General Meeting ("AGM") of Jindal Poly Investment and Finance Co. Ltd ("the Company") will be held through video conferencing (VC)/ other

through electronic mode ONLY, to those members whose email addresses are registered with the Company / Depository Participant and will also be available on the website of the Company at www.jpifcl.com and on the website of Stock Exchanges viz National Stock Exchange of India Limited (NSE) at www.nseindia.com and BSE Limited at www.bseindia.com.

forth in the Notice of the AGM through electronic voting system only. The manner of evoting for Shareholders holding shares in demat mode, physical mode and for Shareholders who have not registered their email addresses will be provided in the Notice

Members can attend and participate in the AGM only through VC/OAVM, the details of which will be provided by the Company in the Notice of AGM. The members attending the meeting through VC/OAVM shall be counted for the purpose of quorum under section 103 of the Act and hence Members are requested to register/update their email address by following the below procedure:

Physical The Shareholders are requested to visit the website of Kfintech a Holding https://ris.kfintech.com/clientservices/mobilereg/mobileemailreg.aspx wherein following information are to be entered:

PAN Details The Shareholders are requested to visit the website of the Kfintech a

Holding https://ris.kfintech.com/clientservices/mobilereg/mobileemailreg.aspx wherein following information are to be entered: Company Name: Jindal Poly Investment and Finance Company Limited

Holding Type: CDSL/NSDL (as the case may be) Enter DP ID & Client ID : PAN Details

The above information is being issued for the information and benefit of all the members of the Company and is in compliance with the MCA Circular(s) and the SEBI Circular(s).

After filling the aforesaid details the email id of the shareholder will get registered.

For Jindal Poly Investment and Finance Company Limited

Sakshie Mendiratta (Company Secretary & Compliance officer)

MIRAE ASSET Mutual Fund

NOTICE CUM ADDENDUM NO. 23/2021

NOTICE is hereby given that in terms of SEBI circular No. MFD/CIR/01/047/99 dated February 10, 1999 on 'Securities Lending and Borrowing in Mutual Fund schemes' wherein SEBI has issued guidelines with respect to lending of securities by Mutual Funds through intermediaries approved by the Board in accordance with the Stock Lending & Borrowing Scheme.

In this regard, we wish to inform you that the Board of Directors of Mirae Asset Investment Managers (India) Private Limited ('AMC') & the Board of Directors of Mirae Asset Trustee Private Limited ('Trustees') have approved the enabling of provisions of Securities Lending and Borrowing (SLB) in the following Exchange Traded Funds (ETFs) of Mirae Asset Mutual Fund:

Sr. No.	Scheme (s)			
1.	Mirae Asset Nifty 50 ETF (An open ended scheme replicating/tracking Nifty 50 Index)			
2.	Mirae Asset Nifty Next 50 ETF (An open ended scheme replicating/tracking Nifty Next 50 Total Return Index)			
3.	Mirae Asset ESG Sectors Leaders ETF (An open ended scheme replicating/tracking Nifty 100 ESG Sector Leaders Total Return Index)			

Further, the Board of AMC and Trustees have approved enabling of provision of creation of segregated portfolio in Mirae Asset Nifty 50 ETF.

Securities and Exchange Board of India has vide email dated July 9, 2021 has granted their no objection certificate to the above proposal.

The rationale for introduction of SLB under above mentioned schemes is as under:

"Securities lending is one of the means of earning additional income for the scheme with a lesser degree of risk. Securities lending is lending of securities through an approved intermediary to a borrower under an agreement for a specified period with the condition that the borrower will return equivalent securities of the same type or class at the end of the specified period along with the corporate benefits accruing on the Securities borrowed."

The below mentioned provisions shall be added in the SID of aforementioned ETFs. It may be noted that provisions pertaining to segregated portfolio shall be included only in the SID of Mirae Asset Nifty 50 ETF.

Under the Heading "RISK FACTOR"

Risk factors associated with Securities Lending:

In accordance with the Regulations and applicable guidelines, the Fund may engage in stock lending activities. The Securities will be lent by the Approved Intermediary against collateral received from borrower, for a fixed period of time, on expiry of which the securities lent will be returned by the borrower.

There are risks inherent to securities lending, including the risk of failure of the other party, in this case the approved intermediary which is the clearing corporations of the Stock exchanges, to comply with the terms of the agreement entered into between the lender of securities i.e. the Scheme and the approved intermediary. Such failure can result in the possible loss of rights to the collateral put up by the borrower of the securities, the inability of the approved intermediary to return the securities deposited by the lender and the possible loss of any corporate benefits accruing to the lender from the securities deposited with the approved intermediary.

The risk is adequately covered as Securities Lending & Borrowing (SLB) is an Exchange traded product. Exchange offers an anonymous trading platform and gives the players the advantage of settlement guarantee without the worries of counter party default. However, the Fund may not be able to sell such lent securities during contract period or have to recall the securities which may be at higher than the premium at which the security is lent.

Risks associated with segregated portfolio:

- 1) Investor holding units of segregated portfolio may not able to liquidate their holding till the time recovery of money from the issuer.
- Security comprises of segregated portfolio may not realise any value.
- Listing of units of segregated portfolio in recognised stock exchange does not necessarily guarantee their liquidity. There may not be active trading of units in the stock market. Further trading price of units on the stock market may be significantly lower than the prevailing NAV.

Under the Heading "DEFINITION"

intermediary i.e. broker.

Stock Lending:

Lending of securities to another person or entity for a fixed period of time, at a negotiated compensation in order to enhance returns of the portfolio.

Main Portfolio: Means the Scheme portfolio excluding the segregated portfolio.

Segregated Portfolio: Means a portfolio comprising of debt or money market instrument affected by a credit event that has been segregated in Mirae Asset Nifty50 ETF.

Under the heading "WHAT ARE THE INVESTMENT RESTRICTIONS?" The Mutual Fund shall buy and sell securities on the basis of deliveries and shall in all cases of purchases,

take delivery of relevant securities and in all cases of sale, deliver the securities. The Scheme may engage in Securities lending and the borrowing which shall be within the framework specified by the Board. Under the heading "HOW WILL THE SCHEME ALLOCATE ITS ASSETS?"

Subject to the SEBI Regulations as applicable from time to time, the Scheme may participate in securities

lending. The Scheme shall adhere to the following limits should it engage in Stock Lending. (a) Not more than 20% of the net assets can generally be deployed in Stock Lending

(b) Not more than 5% of the net assets can generally be deployed in Stock Lending to any single approved

Creation of Segregated Portfolio: Creation of segregated portfolio shall be subject to guidelines specified by SEBI from time to time and

- includes the following: Segregated portfolio may be created, in case of a credit event at issuer level i.e. downgrade in credit
- rating by a SEBI registered Credit Rating Agency (CRA), as under: Downgrade of a debt or money market instrument to 'below investment grade', or
- Subsequent downgrades of the said instruments from 'below investment grade', or
- Similar such downgrades of a loan rating
- actual default of either the interest or principal amount. In case of difference in rating by multiple CRAs, the most conservative rating shall be considered. Creation of segregated portfolio shall be based on issuer level credit events as mentioned above and implemented at the ISIN level.

Segregated portfolio of unrated debt or money market instruments may be created only in case of

4) Creation of segregated portfolio is optional and is at the discretion of the Mirae Asset Investment Managers (India) Pvt Ltd.

Process for Creation of Segregated Portfolio:

- On the date of credit event, the AMC shall decide on creation of segregated portfolio. Once AMC decides to segregate portfolio, it shall:
 - seek approval of trustees prior to creation of the segregated portfolio.
 - immediately issue a press release disclosing its intention to segregate such debt and money market instrument and its impact on the investors.
 - The AMC will also disclose that the segregation shall be subject to Trustee approval. Additionally, the said press release will be prominently disclosed on the website of the AMC.
 - ensure that till the time the trustee approval is received, which in no case shall exceed 1 business day from the day of credit event, the subscription and redemption in the scheme will be suspended for processing with respect to creation of units and payment on redemptions.
- Once Trustee approval is received by the AMC:
 - Segregated portfolio will be effective from the day of credit event.
 - AMC shall issue a press release immediately with all relevant information pertaining to the segregated portfolio. The said information will also be submitted to SEBI.
 - An e-mail or SMS will be sent to all unit holders of the concerned scheme. d) The NAV of both segregated and main portfolios will be disclosed from the day of the credit event.
 - of units in the segregated portfolio as held in the main portfolio. f) No redemption and subscription will be allowed in the segregated portfolio. However, upon

All existing investors in the scheme as on the day of the credit event will be allotted equal number

- recovery of any money from segregated portfolio, it will be immediately distributed to the investors in proportion to their holding in the segregated portfolio. AMC should enable listing of units of segregated portfolio on the recognized stock exchange
- within 10 working days of creation of segregated portfolio and also enable transfer of such units on receipt of transfer requests.
- h) Investors redeeming their units will get redemption proceeds based on the NAV of main portfolio and will continue to hold the units of segregated portfolio. If the trustees do not approve the proposal to segregate portfolio, AMC will issue a press release
- immediately informing investors of the same.
- 4) In case trustees do not approve the proposal of segregated portfolio, subscription and redemption applications will be processed based on the NAV of total portfolio.

Benefits & Features of Creation of Segregated Portfolio: Creation of Segregated portfolio helps ensuring fair treatment to all investors in case of a credit event

- and helps in managing liquidity risk during such events;
- Investors redeeming their units will get redemption proceeds based on the NAV of main portfolio and will continue to hold the units of segregated portfolio; Investors subscribing to the scheme will be allotted units only in the main portfolio based on its NAV;
- A statement of holding indicating the units held by the investors in the segregated portfolio along with the NAV of both segregated portfolio and main portfolio as on the day of the credit event shall be
- communicated to the investors within 5 working days of creation of the segregated portfolio; Adequate disclosure of the segregated portfolio shall appear in all scheme related documents, in monthly
- and half-yearly portfolio disclosures and in the annual report of the mutual fund and the scheme; and The investors of the segregated portfolio shall be duly informed of the recovery proceedings of the
- investments of the segregated portfolio. Status update may be provided to the investors at the time of recovery and also at the time of writing-off of the segregated securities.

31-May-19

Illustration of Segregated Portfolio: Portfolio Date

Downgrade Event Date 31-May-19 Downgrade Security 8.65 % C Ltd from BBB+ to D Valuation Marked Down Ms. A is holding 1000 Units of the Scheme with the NAV 10, equal to (1000*10) Rs.10000.

Portfolio before the Downgrade Event:

Security	Rating	Type of the Security	Quantity	Price Per Unit	Market Value (₹ in Lakhs)	% of Net Assets
8.80% A LTD	CRISIL AAA	NCD	10000000	101	10100	9.264
8.70 % B LTD	CRISIL AAA	NCD	12500000	99	12375	11.351
8.65 % C LTD	CRISIL BBB+	NCD	15000000	95	14250	13.071
8.5% D LTD	CRISIL AAA	NCD	16000000	100	16000	14.676
8.65 % E LTD	CRISIL AAA	NCD	10000000	101	10100	9.264
8.7 % F LTD	CRISIL AAA	NCD	8000000	99	7920	7.265
8.5 % G LTD	CRISIL AAA	NCD	11000000	98	10780	9.888
8.4 % H LTD	CRISIL AAA	NCD	9000000	101	9090	8.338
8.2 % I LTD	CRISIL AAA	NCD	8500000	100	8500	7.797
8.5 % J LTD	CRISIL AAA	NCD	9500000	99	9405	8.627
Cash/Cash Equivalents		j l		i i	500	0.459
Net Assets					109020	
No. of units in Lakhs					10902	
NAV (₹)					10.0000	

The instrument "8.65 % C Ltd" was marked down by 75% on the date of credit event. Before being marked down, the security was valued at Rs.95 per unit. After the mark down, the security per unit will be valued at Rs. 25.

On the date of the credit event i.e. on 31st May 2019, NCD of "8.65% C Ltd" will be segregated as separate portfolio.

Main Portfolio as on 31st May 2019:

Security	Rating	Type of the Security	Quantity	Price Per Unit	Market Value (₹ in Lakhs)	% of Net Assets
8.80% A LTD	CRISIL AAA	NCD	10000000	101	10100	10.657
8.70 % B LTD	CRISIL AAA	NCD	12500000	99	12375	13.058
8.5% D LTD	CRISIL AAA	NCD	16000000	100	16000	16.883
8.65 % E LTD	CRISIL AA	NCD	10000000	101	10100	10.657
8.7 % F LTD	CRISIL AAA	NCD	8000000	99	7920	8.357
8.5 % G LTD	CRISIL AAA	NCD	11000000	98	10780	11.375
8.4 % H LTD	CRISIL AAA	NCD	9000000	101	9090	9.592
8.2 % I LTD	CRISIL AAA	NCD	8500000	100	8500	8.969
8.5 % J LTD	CRISIL AAA	NCD	9500000	99	9405	9.924
Cash/Cash Equivalents					500	0.528
Net Assets					94770	
No. of units in Lakhs					10902	
NAV (₹)		1			8.6929	

Segregated Portfolio as on 31st May 2019:

Security	Rating	Type of the Security	Quantity	Price Per Unit	Market Value (₹ in Lakhs)
8.65 % C Ltd	CRISIL D	NCD	15000000	25	3750
Net Assets					3750
No. of units in Lakhs					10902
NAV (₹)					0.3440

Value of Holding of Ms A after creation of Segregated Portfolio:

	Main Portfolio	Segregated Portfolio	Total Value
No of units	1000	1000	
NAV (₹)	8.69	0.344	
Total value (₹)	8692.90	343.97	9036.87

Monitoring by Trustees:

- a) In order to ensure timely recovery of investments of the segregated portfolio, trustees shall ensure
 - The AMC puts in sincere efforts to recover the investments of the segregated portfolio.
- Upon recovery of money, whether partial or full, it shall be immediately distributed to the investors in proportion to their holding in the segregated portfolio. Any recovery of amount of the security in the segregated portfolio even after the write off shall be distributed to the investors of the segregated portfolio.
- An Action Taken Report (ATR) on the efforts made by the AMC to recover the investments of the segregated portfolio is placed in every trustee meeting till the investments are fully recovered/
- written-off. The trustees shall monitor the compliance of this circular and disclose in the half-yearly trustee reports filed with SEBI, the compliance in respect of every segregated portfolio created.
- In order to avoid mis-use of segregated portfolio, trustees will ensure to have a mechanism in place to negatively impact the performance incentives of Fund Managers, Chief Investment Officers (CIOs), etc involved in the investment process of securities under the segregated portfolio, mirroring the existing mechanism for performance incentives of the AMC, including clawback of such amount to the segregated portfolio of the scheme.

Under the heading "ONGOING OFFER DETAILS"

Valuation and processing of subscriptions and redemptions: i) Notwithstanding the decision to segregate the debt and money market instrument, the valuation

- should take into account the credit event and the portfolio shall be valued based on the principles of fair valuation (i.e. realizable value of the assets) in terms of the relevant provisions of SEBI (Mutual Funds) Regulations, 1996 and Circular(s) issued thereunder.
- ii) All subscription and redemption requests for which NAV of the day of credit event or subsequent day is applicable will be processed as per the existing circular on applicability of NAV as under:
- a) Upon trustees' approval to create a segregated portfolio -
 - Investors redeeming their units will get redemption proceeds based on the NAV of main portfolio and will continue to hold the units of segregated portfolio.
 - Investors subscribing to the scheme will be allotted units only in the main portfolio based on its
- In case trustees do not approve the proposal of segregated portfolio, subscription and redemption applications will be processed based on the NAV of total portfolio.

Under the heading "FEES AND EXPENSES"

TER for the Segregated Portfolio:

- a) AMC shall not charge investment and advisory fees on the segregated portfolio. However, TER (excluding the investment and advisory fees) can be charged, on a pro-rata basis only upon recovery of the investments in segregated portfolio.
- b) The TER so levied shall not exceed the simple average of such expenses (excluding the investment and advisory fees) charged on daily basis on the main portfolio (in % terms) during the period for which
- the segregated portfolio was in existence. The legal charges related to recovery of the investments of the segregated portfolio may be charged to the segregated portfolio in proportion to the amount of recovery. However, the same shall be within

the maximum TER limit as applicable to the main portfolio. The legal charges in excess of the TER

limits, if any, shall be borne by the AMC. d) The costs related to segregated portfolio shall in no case be charged to the main portfolio.

Exit Option:

for their transactions.

Place: Mumbai

Date : September 1, 2021

As per Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) Regulations, 1996 any modification in the type of the scheme, investment objective, asset allocation and investment strategy of a scheme amounts to a change in the fundamental attribute of the scheme. Accordingly, as per Regulation 18(15A) of the said regulation, in case an investor does not wish to continue to hold units in view of the said changes, he/she/ it will have the option to exit the said Scheme at the prevailing NAV, without any exit load. The said exit option can be availed between September 6, 2021 to October 5, 2021 (upto 3 p.m.) (both days inclusive). The aforesaid exit option will be available to all the investors of the Scheme as on August 27, 2021. All transaction requests received on or after October 6, 2021 will be subject to load, as may be prevailing in the respective Scheme mentioned above.

It may be noted that the offer to exit is merely an option and is not compulsory. Please note that redemption request may be submitted to any of the Offices of the AMC or the Investor Service Centers of the Registrar and Transfer Agent i.e. KFin Technologies Private Limited. Such exit option will not be available to unitholders whose units have been pledged and Mutual Fund has been instructed to mark a lien on such units and the release of the pledge is not obtained and appropriately communicated to Mutual Fund prior to applying for redemption. The redemption proceeds shall be dispatched within 10 (ten) business days of receipt of valid redemption request to those unitholders who choose to exercise their exit option. Unitholders should ensure that any change in address or payout bank details required by them, are updated with the AMC before exercising the exit option. Redemption/switch-out of units from the said scheme, during the exit period, may entail capital gain in the

hands of the NRI unit holder, and such TDS on account of capital gain shall be deducted in accordance with the applicable Tax laws, upon exercise of exit option, which shall be required to be borne by such NRI investor(s) only. The redemption/switch of units from the said scheme is liable for deduction of Securities Transaction Tax (STT); however, such STT shall be borne by AMC and will not be borne by the investor. In view of individual nature of tax implications, unitholders are advised to consult their tax advisors. Since the units are held in dematerialized form, investors are requested to contact their Depository Participant

Unitholders who do not exercise the exit option during the said exit window period would be deemed to have consented to the proposed modification. It may also be noted that no action is required in case Unitholders are in agreement with the aforesaid changes, which shall be deemed as consent being given by them for the proposed changes.

All the terms and conditions of the Scheme apart from those mentioned above will remain unchanged.

This notice cum addendum forms an integral part of SIDs and KIMs of the Scheme(s) of MAMF, as amended from time to time. All the other terms and conditions of SIDs and KIMs of the Scheme(s) will remain unchanged. MIRAE ASSET INVESTMENT MANAGERS (INDIA) PVT. LTD.

(Asset Management Company for Mirae Asset Mutual Fund)

AUTHORISED SIGNATORY

Private Limited) (CIN: U65990MH2019PTC324625). Registered & Corporate Office: 606, Windsor, Off CST Road, Kalina, Santacruz (E), Mumbai - 400098. 2 1800 2090 777 (Toll free), 🖂 customercare@miraeasset.com 🚭 www.miraeassetmf.co.in

MIRAE ASSET MUTUAL FUND (Investment Manager: Mirae Asset Investment Managers (India)

Mutual Fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.

New Delhi

Place: New Delhi

TRIVENI GLASS LTD

Notice is hereby given that the Fiftieth Annual General Meeting of the

of the company scheduled to be held on Tuesday, 28th September 2021 at 12:00 PM at Hotel Allahabad Regency at 16, Tashkent Marg, Allahabad- 211001. The members may cast their votes using an electronic voting system from a place other than the venue of the meeting (remote e-voting). The company has engaged the service of National Securities Depository Limited (NSDL) as the Agency to provide e-voting facility. The communication relating to e-voting inter alia containing user id and password along with a copy of the notice convening the meeting has been dispatched to members. This communication and the Notice of the meeting are available on website of the Company at www. triveniglassitd.com and on the website of NSDL at https://www.evoting.nsdl.com . The remote e-voting facility shall begins on Saturday, 25th September, 2021 from 9:00 AM and ends on Monday, 27th September 2021 at 05:00 PM. A person whose name appears in the register of members / beneficial owners as on the cut-off date i.e. 21st September 2021 only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting at meeting. Any person, who becomes member of the company after dispatch of the notice of the meeting and holding shares as on the cut-off date i.e. 21st September, 2021, may obtain the User ID and Password by sending request at https://www.evoting.nsdl.com. The detailed procedure for obtaining user id and password is also provided in the notice of meeting which is available on Company's website and NSDL's website. If the member id already registered with NSDL for e-voting then he can use existing user id and password for casting the

Date: 06.08.2021

By Order of the Board For Triveni Glass Limited A.K. Dhawan Director Finance

Corp Off: Plot no. 12, Sector B-1, Local Shopping Complex, Vasant Kunj, New Delhi - 110 070 Tel No; 011-40322100;

audio visual means (OAVM) on Wednesday, 29th September, 2021 at 11.00 AM to transact the business as set out in the Notice of 9"AGM in compliance with General Circulars dated January 13, 2021, May 5, 2020, April 8, 2020 and April 13, 2020 and all other relevant circulars issued from time to time issued by Ministry of Corporate Affairs and circular dated May 12, 2020 & January 15, 2021 issued by Securities and Exchange Board of India. The Notice of the 9"AGM and Annual Report for the financial year 2020-21, will be sent

Shareholders will have an opportunity to cast their vote remotely on the business as set

Company Name: Jindal Poly Investment and Finance Company Limited Holding Type: Physical Folio No's: As given on the Share Certificate

Date: 01/09/2021 financialexp.epan.in

'पानी पूरी' को लेकर हुए झगड़े में महिला ने की आत्महत्या

पुणे जिले में 23 वर्षीय महिला ने पानी पुरी को

पुणे (महाराष्ट्र), 1 सितंबर। महाराष्ट्र के को लेकर दोनों में झगड़ा हो गया। पुलिस ने बताया कि महिला प्रतीक्षा सरवडे की 2019 में लेकर पित से झगड़े के बाद आत्महत्या कर ली। गिहनीनाथ सरवडे के साथ शादी हुई थी और पति बिना बताए पानी पूरी घर ले आया था। मगर दोनों के बीच घरेलू मुद्दों को लेकर झगड़ा होता पत्नी ने पहले ही खाना बना लिया था। इसी बात रहता था। भारती विद्यापीठ थाने की अधिकारी ने

बताया, 'गत शुक्रवार को पत्नी को बिना बताए उसका पति घर पर पानी पुरी ले आया था। इस बात को लेकर दोनों में झगड़ा हो गया था। पुलिस ने पति के खिलाफ आत्महत्या के लिए - उकसाने का मामला दर्ज किया। **(भाषा**)

Criminal Courts, Ludhiana

In The Court Of Ms. Divya

next date, purpose of case, orders and judgments

CNR NO: PBLD03-001832-2019

Next Date: 08-10-2021

as well as other case information is available on

Notice To: Nafis Jainudin S/o Not

Known R/o House No. 53, Village

whereas it has proved to the satisfaction of this

accused persons can't be served in the ordinary

f code of criminal procedure is hereby issued

appear personally before this court on 8-10-2021

at 10.00 a.m. or within 30 days from the date of

publication of this proclamation. Take notice that,

firected above the above said case will be heard

and determined as per law, in your absence, for

https://highcourtchd.gov.in/?trs=district_notice&d

Criminal Courts, Ludhiana

In The Court Of Ms. Divya

next date, purpose of case, orders and judgments

CNR NO: PBLD03-001831-2019

Next Date: 08-10-2021

as well as other case information is available on

Kotak Mahindra Bank Vs

Krishan Dass R/o 984, Sham Ghat,

whereas it has proved to the satisfaction of this

accused persons can't be served in the ordinary

of code of criminal procedure is hereby issued

blunds one task nothered a disworten

appear personally before this court on 8-10-2021

sublication of this proclamation. Take notice that

frected above the above said case will be heard

and determined as per law, in your absence, for

details logon to: https://highcourichd.gov.in/?trs=

ऋण वसली अधिकरण

तारा बिल्डिंग, संसद मार्ग,

नई दिल्ली-110001

केस नं. ओए/274/2020

ऋण वसुली अधिकरण (प्रक्रिया)

नियमावली, 1993 के नियम 5 के

उपनियम (२ए) के साथ पठित अधिनियम

की धारा 19 की धारा (4) के तहत

एएक्सएच. नं. 3129

आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड

सरिता त्यागी एवं अन्य

डी/डब्ल्यू/एस/ओ-जगदीश प्रसाद त्यागी, बी-

ओएम-1, प्लॉट सं. 32, राजेन्द्र नगर,

सेक्टर-5, साहिबाबाद, गाजियाबाद, उत्तर

साहिबाबाद, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश-201005

जैसा कि ओए/274/2020 माननीय पीठासीन

अधिकारी/रजिस्ट्रार के समक्ष 05.04.2021 को

जैसा कि यह माननीय अधिकरण रु.

29,60,387.00/- के ऋण (दस्तावेजों की

प्रतियों सहित आवेदन संलग्न हैं) की वसली हेत

आपके विरुद्ध दाखिल इस अधिनियम की धारा

19(4) (ओए) के तहत कथित आवेदन पर

अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (4) के

अनुसार, आप प्रतिवादियों को निम्नवत निर्देश

(i) समन की सर्विस के तीस दिनों के भीतर

कारण बताना कि जिस राहत के लिए प्रार्थना की

(ii) मूल आवेदन की क्रम सं. 3ए के तहत

आवेदक हारा निर्दिष्ट सम्पत्तियों तथा आस्तियों

के अतिरिक्त सम्पत्तियों अथवा आस्तियों के

(iii) आपको प्रतिभूत आस्तियों अथवा मूल

आवेदन की क्रम संख्या 3ए के तहत प्रकटित

अन्य आस्तियों तथा सम्पत्तियों के साथ

संव्यवहार करने, सुनवाई लम्बित करने तथा

सम्पत्तियों के अटैचमेंट हेतु आवेदन को

(iv) आप उन किसी आस्तियों को सामान्य

प्रकारों के विषय को छोड़कर जिस पर प्रतिभृति

हित सुजित किया गया है तथा/अथवा मुल

आवेदन की क्रम सं, 3ए के तहत निर्दिष्ट अन्य

आस्तियों तथा सम्पत्तियों को अधिकरण की पूर्व

अनुमति के बिना बिक्री, पट्टे या अन्य विधि से

(v) आप प्रतिभृत आस्तियों अथवा अन्य

आस्तियों तथा सामान्य प्रकार्य में सम्पत्तियों की

बिक्री द्वारा वसलीकत बिक्री कार्यवाहियों हेत

उत्तरदायी होंगे और ऐसी चिक्रीत कार्यवाहियों को

बैंक अथवा ऐसी आस्तियों पर प्रतिभृति हित

धारक वित्तीय संस्थानों के खातों में अनुरक्षित

आपको 20.09.2021 को 10.30 बजे प्रातः

रजिस्ट्रार के पास एक लिखित वक्तव्य जिसकी

एक प्रति आवेदक को देनी है, दाखिल करने

तथा उनके समक्ष उपस्थित होने का भी निर्देश

दिया जाता है जिसमें असफल होने पर आवेदन

पर सुनवाई की जायेगी और आपकी अनुपरिश्वति

जारी महामारी की स्थिति के कारण, सभी मामले

वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से लिये जायेंगे

(i) सभी एडवोकेट/वादी "सिस्को वेबेक्स"

(ii) रजिस्ट्रार/वसुली अधिकारी-I/एवं वसुली

अधिकारी-II हारा मामले की हैसियत में सुनवाई

की अगली तारीख हेतु "मीटिंग आईडी" तथा

''पासवर्डं'' सार्वजनिक सुचना शीर्षक के तहत

हीआरटी पोर्टल अर्थात "drt.gov.in" पर

अगली तारीख से एक दिन पूर्व उपलब्ध होगी।

(iii) किसी आकरिमकता की स्थिति में

एडवोकेट/वादी सम्बन्धित अधिकारी से दरभाष

13.08.2021 को मेरे हस्ताक्षर तथा अधिकरण

समन जारी करने के लिए अधिकृत

रजिस्ट्रार डीआरटी-III, दिल्ली

अधिकारी का इस्ताक्षर

(ए.के. पाहजा)

नं. 23748469 पर सम्पर्क कर सकते हैं।

एप्लीकेशन/सॉफ्टवेयर डाउनलोड करेंगे।

में फैसला दिया जायेगा।

जिसके उददेश्य से :

की महर सहित

निस्तारित करने से निषिद्ध किया जाता है;

गयी उसे स्वीकार क्यों न किया जाये।

विवरणों को प्रकटित करना;

हस्तान्तरित नहीं करेंगे:

समन/सूचना सहर्ष जारी करते हैं।

दिया जाता है :

सेक्टर-05

(1) सरिता त्यागी एवं अन्य

(2) जगदीश प्रसाद त्यागी

सचीबद्ध किया गया था।

सी/1/92, राजेन्द्र नगर,

दिल्ली (डीआरटी 3) चौथा तल,

JMIC Ludhiana

at 10.00 a.m. or within 30 days from the date of

in case of default on your part to appear as

district notice&district=ludhiana

way of service. Hence this proclamation under 82

Sharma JMIC Ludhiana

http://districts.ecourts.gov.in/ludhiana

Notice To: Deepak Garg S/o

court that you, the above named accused/

Deepak Garg

Mathura, U. P.-281001

JMIC Ludhiana

against you with a direction that you should

in case of default on your part to appear as

details logon to:

strict=ludhiana

way of service. Hence this proclamation under 82

Chamraua, Muradabad-244001


court that you, the above named accused/

http://districts.ecourts.gov.in/ludhiana

Kotak Mahindra Bank

NAFIS JAINUDIN

Sharma JMIC Ludhiana



दिल्ली जल बोर्ड: रा.रा. क्षेत्र दिल्ली सरकार

2021 DJB 207794 3 इस संदर्भ में अधिक विवरण वेबसाईट https://govtprocurement.delhi.gov.in पर देखें।

पी.आर.ओ. (जल) द्वारा जारी विज्ञा. सं. जे.एस.वी. 2021-22/351

(सत्यवीर सिंह कार्यपालक अभियंता (मध्य)-

KAMA Holdings

हस्ता./

कामा होल्डिंग्स लिमिटेड

(CIN: L92199DL2000PLC104779)

पंजीकृत कार्यालयः द गैलेरिया, डीएलएफ मयूर विहार, यूनिट नं. 236 एवं 237, 2रा तल, मयूर विहार प्लेस, नोएडा लिंक रोड, मयूर विहार फेज 1 एक्स्टें., दिल्ली-110091 कॉर्पोरेट कार्यालय : ब्लॉक सी, सेक्टर 45, गुरुग्राम-122003

टेली. नं. (+91-11) 49482870, (+91-124) 4354400, फैक्स: (+91-11) 49482900, (+91-124) 4354500 ई-मेलः info@kamaholdings.com, वेबसाईटः www.kamaholdings.com

कामा होल्डिंग्स लिमिटेड की इक्कीसवीं वार्षिक साधारण सभा से संबंधित सुचना एतदृद्वारा सूचित किया जाता है कि कम्पनी सदस्यों की 21वीं वार्षिक साधारण सभा (एजीएम) मंगलवार, 28 सितम्बर, 2021

को 11.00 पूर्वा. (आईएसटी) में कम्पनी अधिनियम, 2013 के लागू होने वाले प्रावधानों तथा उसके अंतर्गत निर्मित नियमों तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालाय द्वारा जारी साधारण सर्क्यूलर नं. 14/2020 तिथि 8 अप्रैल, 2020, 17/2020 तिथि 13 अप्रैल 2020, 20/2020 तिथि 5 मई 2020 तथा 02/2021 तिथि 13 जनवरी, 2021 तथा सेबी द्वारा इसके परिपत्र दिनांक 12 मई, 2020 तथा 15 जनवरी, 2021 एवं लागू होने वाले अन्य सक्युलर्स के के अनुपालन में विडियो कान्फ्रेंसिंग (''वीसी'') द्वारा आयोजित होगी जिसमें एजीएम आमंत्रण सूचना में वर्णित व्यवसायों को निष्पादित किया जायेगा। सदस्यगण www.evoting.nsdl.com पर वीसी के माध्यम से एजीएम में उपस्थित होने में सक्षम होंगे। वीसी सुविधा के माध्यम से शामिल होने वाले सदस्यों की गणना कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 103 के अंतर्गत कोरम सुनिश्चित करने के लिये की

संबंधित सर्क्युलर्स के अनुपालन में वित्त वर्ष 2020-21 के वार्षिक रिपोर्ट तथा एजीएम सूचना की इलेक्ट्रॉनिक प्रति कम्पनी के ऐसे सभी सदस्यों को भेजी जायेगी जिनके ईमेल पते कम्पनी/ डिपॉजिटरी पार्टिसिपैन्ट्स के पास पंजीकृत हैं। उपरोक्त दस्तावेज कम्पनी की वेबसाईट www.kamaholdings.com तथा स्टॉक एक्सचैंजों की वेबसाईट अर्थात www.bseindia.com तथा ई-वोटिंग एजेंसी एनएसडीएल की वेबसाइट https://evoting.nsdl.com पर भी उपलब्ध होगा।

जिन सदस्यों ने अपने ई–मेल पते तथा मोबाईल नम्बर पंजीकृत नहीं कराये हैं, वे यूजर आईडी तथा पास्वर्ड के साथ सूचना की सॉफ्ट कॉपी तथा ई-वोटिंग के निर्देशों को प्राप्त करने के https://ris.kfintech.com/clientservices/mobilereg/mobileemailreg.aspx पर क्लिक कर कम्पनी के रजिस्ट्रार के पास अपने ईमेल आईडी तथा मोबाईल नम्बर अस्थाई रूप से पंजीकृत करा सकते हैं। किसी भी प्रकार की पूछताछ के लिये सदस्य info@kamaholdings.com अथवा Einward.ris@kfintech.com पर पैन की स्वप्रमाणित स्कैन्ड प्रति एवं सदस्य के पंजीकृत पते के समर्थन में कोई दस्तावेज (जैसे डाइविंग लाइसें, पासपोर्ट, बैंक विवरण, आधार) के साथ अपने फोलियो नम्बर, सम्पूर्ण पता, पंजीकृत किया जाने वाला ई-मेल पता का उल्लेख करते हुए निवेदन भेज सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक पद्धति में धारित शेयरों के मामले में डिपॉजिटरी पार्टिसिपैन्ट तथा भौतिक पद्धति में धारित शेयरों के मामले में

कम्पनी के रजिस्ट्रार के पास सदस्य अपने विवरणों का अद्यतन भी करा सकते हैं। रिमोट से मतदान (''रिमोट ई–वोटिंग'') के तरीके का विवरण एजीएम की सचना में दिया गया है। इलेक्टॉनिक वोटिंग प्रणाली

द्वारा मतदान की सुविधा एजीएम में भी उपलब्ध कराई जायेगी। सदस्यों से आग्रह है कि एजीएम की सूचना में निर्दिष्ट सभी टिप्पणियों तथा विशेषकर एजीएम में शामिल होने, रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अथवा एजीएम के दौरान इन्स्टा पोल द्वारा मतदान करने के निर्देशों का सावधानीपूर्वक अध्ययन कर लें।

सदस्यों से आग्रह है कि अधोलिखित के पास अपने बैंक के सम्पूर्ण विवरणों को पंजीकृत/ अपडैट कराएं: यदि शेयर इलेक्ट्रॉनिक पद्धति में धारित हो तो अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपैन्ट्स के पास, तथा i) हस्ताक्षरित अनुरोध पत्र जिसमें सदस्य का नाम, फोलिओ नम्बर, बैंक का विवरण (बैंक खाता संख्या, बैंक, शाखा का नाम तथा पता, आईएफएससी, एमआईसीआर विवरणों) की स्कैन की गई प्रति, ii) पैन कार्ड की स्वतः सत्यापित प्रति तथा iii) यदि शेयर भौतिक पद्धति में धारित हो तो einward.ris@kfintech.com पर निरस्त चेक लीफ जमा कर कम्पनी के रजिस्ट्रार के पास।

> कामा होल्डिंग्स लिमिटेड के लिये एकता माहेश्वरी पूर्णकालिक निदेशक, सीएफओ एवं कम्पनी सचिव

\llbracket फ्लैक्स फूड्स लिमिटेड

CIN: L15133UR1990PLC023970

रजिस्टर्ड ऑफिस : लाल टप्पर इंडस्ट्रियल एरिया, पी.ओ. रेशम मजरी, हरिद्वार रोड देहरादून (उत्त.) फोन: +91-135-2499234, फैक्स: +91-135-2499235, वेबसाइट: www.flexfoodsltd.com, ईमेल: secretarial@uflexItd.com कंपनी के शेयरधारकों के ध्यान हेतु सूचना

एतदद्वारा सुचित किया जाता है कि, फ्लैक्स फूड्स लिमिटेड (कंपनी) की इकत्तीस 31वीं वार्षिक आम बैठक ("एजीएम") वीडियो कॉन्क्रेंसिंग ('वीसी')/ अन्य ऑडियो-विज्अल माध्यमों ('ओएवीएम') के माध्यम से शुक्रवार, 24 सितंबर, 2021 को अपराह 03:00 बजे (आईएसटी), आयोजित की जाएगी। कंपनी अधिनियम, 2013 के सभी लागू प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों और भारतीय प्रतिमृति और विनिमय बोर्ड ("सेबी") (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण

आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के अनुपालन में, सामान्य परिपन्न संख्या. 14/2020 दिनांक 08 अप्रैल, 2020, सामान्य परिपन्न संख्या 17/2020 दिनांक 13 अप्रैल, 2020, सामान्य परिपत्र संख्या 20/2020 दिनांक 5 मई,2020 और सामान्य परिपत्र संख्या संख्या 02/2021 दिनांक 13 जनवरी, 2021, और अन्य लागू कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ("एमसीए") और सेबी (सामुहिक रूप से "प्रासंगिक परिपत्र" के रूप में संदर्भित) द्वारा जारी परिपत्र, एजीएम को बुलाने वाले नोटिस में निर्धारित व्यवसाय को लेन-देन करने के लिए। सदस्य वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में शामिल हो सकेंगे।

संबंधित परिपत्रों के अनुपालन में, एजीएम की सूचना और वितीय वर्ष 2020-21 के लिए वितीय विवरणों के साथ-साथ बोर्ड की रिपोर्ट, लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट और अन्य दस्तावेजों को संलग्न करने के लिए आवश्यक दस्तावेजों को 31, अगस्त, 2021 को उन सदस्य को भेजा गया है, जिनके ईमेल पते कंपनी / डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के पास पंजीकृत हैं। उपरोक्त दस्तावेज कंपनी की वेबसाइट www.flexfoodsltd.com पर और स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट यानी बीएसई लिमिटेड www.bseindia.com पर भी उपलब्ध हैं।

एजीएम के दौरान रिमोट ई-वोटिंग और ई-वोटिंग के लिए निर्देश:

कंपनी (प्रबंध तथा प्रशासन)नियमावली, 2014 समय-समय पर संशोधित के नियम 20 तथा सेबी (आपत्लियों के सूचिकरण एवं प्रकृटीरण अपेक्षाएं) में विनियमों, 2015 के विनियम 44 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के अनुसार यह कंपनी इलेक्ट्रनिक विधि ई-वोटिंग द्वारा एजीएम में पारित किए जाने वाले प्रस्तावित प्रस्ताव पर उनके वोट के अधिकार का प्रयोग करने लिए इसके सदस्यों को सुविधा उपलब्ध करा रही है। कंपनी शेयरधारकों को ई-वोटिंग सुविधा उपलब्ध कराने के लिए कंपनी ने सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेस लिमिटेड (सीडीएसएल) से सेवाएं प्राप्त की हैं। सदस्य यहां नीचे वर्णित तिथियों को (सीडीएसएल) की इलेक्ट्रनिक वोटिंग सिस्टम के प्रयोग द्वारा रिमाटली अपने वोट डाल सकते हैं। ("रिमोट ई-वोटिंग")

इसके अलावा, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम के माध्यम से मतदान की सुविधा एजीएम में भी उपलब्ध कराई जाएगी और एजीएम में भाग लेने वाले सदस्य जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट नहीं डाला है, वे एजीएम में मतदान कर सकेंगे। सेंट्रल डिपोंजिटरी सर्विसेज लिमिटेड, ("सीडीएसएल") 31वीं एजीएम के दौरान वीसी/ओएवीएम सुविधा और ई-वोटिंग के माध्यम से 31वीं एजीएम में भाग लेने के लिए रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से वोटिंग की सुविधा प्रदान करेगा। कंपनी के सदस्यों का रजिस्टर और शेयर ट्रांसफर बुक्स वर्ष 2020-21 के लिए लागांश के शेयरधारकों की पात्रता निर्धारित करने और एजीएम के उद्देश्य लिए 11 सितंबर 2021 से 24 सितंबर, 2021 (दोनों दिन शामिल) तक बंद रहेंगे।

सभी सदस्यों को सचित किया जाता है कि

|तिथि: 01.09.2021

स्थानः गुरुग्राम

(क) एजीएम की सूचना में निर्धारित व्यवसाय इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान के माध्यम से किया जा सकता है; (ख) रिमोट ई-वोटिंग शुरू होने की तारीख और समयः मंगलवार, 21 सितंबर, 2021, सुबह 9:00 बजे;

(ग) रिमोट ई-वोटिंग की समाप्ति की तिथि और समयः गुरुवार, सितंबर 23, 2021, शाम 5:00 बजे;

(घ) इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से या एजीएम में मतदान करने की पात्रता निर्घारित करने के लिए कट-ऑफ तिथिः शुक्रवार, 17 सितंबर,2021 । सदस्यों के वोटिंग अधिकार कट-ऑफ तिथि के अनुसार उनकी हिस्सेदारी के अनुपात में होंगे; (ड) कोई भी व्यक्ति, जो कंपनी के शेयरों का अधिग्रहण करता है और एजीएम की सूचना के प्रेषण के बाद कंपनी का

सदस्य बन जाता है और कट-ऑफ दिनाकं यानी 17 सितंबर, 2021 तक शेयर रखता है, लॉगिन आईडी बनाने की प्रक्रिया का पालन कर सकता है। और पासवर्ड जैसा कि एजीएम की सुचना में दिया गया है। यदि ऐसा व्यक्ति पहले से ही ई-वोटिंग के लिए सीडीएसएल में पंजीकृत है, तो मौजूदा यूजर आईडी और पासवर्ड का उपयोग वोट डालने

के लिए किया जा सकता है:

(च) सदस्य ध्यान दें -(ii) 23 सितंबर, 2021-शाम 5:00 बजे के बाद रिमोट ई-वोटिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(ii) मतदान की सुविधा एजीएम में उपलब्ध कराई जाएगी और बैठक में भाग लेने वाले सदस्य जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट नहीं डाला है, वे बैठक में अपने अधिकार का प्रयोग कर सकेंगे।

(iii) कोई सदस्य रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान करने के अपने अधिकार का प्रयोग करने के बाद भी सामान्य बैठक में भाग ले सकता है लेकिन उसे बैठक में दोबारा मतदान करने की अनुमति नहीं दी जाएगी; तथा

(iv) एक व्यक्ति जिसका नाम सदस्यों के रजिस्टर में या डिपॉजिटरी द्वारा बनाए गए लाभकारी मालिकों के रजिस्टर में

कट-ऑफ तिथि के अनुसार दर्ज किया गया है, वार्षिक आम बैठक रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा का लाभ उठाने के साथ-साथ वोटिंग का भी हकदार होगा।

(छ) कंपनी और एजेंसी का वेबसाइट पता जहां बैठक की सूचना प्रदर्शित होती है: www.flexfoodsitd.com और

www.evotingindia.com; (ज) इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान की सुविधा से जुड़ी शिकायतों को दूर करने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति का नाम,

पदनाम, पता, ईमेल आईडी और फोन नंबर: श्री राजेश धीर, कंपनी सचिव, ईमेल आईडी: secretarial@uflexltd.com, फोन नंबर: 011-26440917,011-26440925,

पताः पता : 305, तीसरी मंजिल, भनोत कॉर्नर, पम्पोश एन्कलेव, ग्रेटर कैलाश-1, नई दिल्ली-110048

हस्ता./-(राजेश धीर)

बोर्ड के आदेश द्वारा

कम्पनी सचिव FCS No.: 3060

पताः ए-64, ऑर्डनैन्स अपार्टमेन्ट्स, ब्लॉक-एच, विकासपुरी, नई दिल्ली-110018

कार्यालय ग्राम पंचायत मझौला विकास खण्ड-मदनापुर, शाहजहांपुर अति अल्पकालीन निविदा सुचना

समस्त GST में पंजीकृत फर्मो को सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत मझौला विकास खंड-मदनापुर में वित्तीय वर्ष 2020–21 में स्वीकृत निम्न कार्य कराये जा रहे थे। इन कार्यों के लिए स्वीकृत फार्मो के द्वारा निर्माण कार्य सामग्री ससमय , सही गुणवता एवं चाही गई मात्रा में उपलब्ध न कराये जाने के कारण पूर्व में स्वीकृत समस्त निविदाये ग्राम पंचायत के द्वारा निरस्त कर दी गई है। अतः निम्न कार्य में सामग्री आपूर्ति हेतु इच्छुक फर्म दिनाकं 02/09/2021 तक अपनी सीलबन्द निविदा ग्राम पंचायत के कार्यालय में भेजे।

क्रम संख्या	कार्य का नाम	सामग्री	मात्रा	अम्युक्ति
1.	नवीन पंचायत भवन निर्माण	अवशेष आवश्यक समस्त निर्माण सामग्री	आवश्यक	पूर्ण जानकारी ग्रा0प0 कार्यालय से संपर्क कर ली जा सकती हैं। जिसकी सूचना कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा है।
	ाती पुष्पा	8		सुनील कुमार त्रिवेदी

0 टाटा कीपटल फाइनासियल सर्वसंस लि. पंजी. कार्यालय: 11वां तल, टावर-ए, पेनिनसुला बिजनेस पार्क, गणपतराव कदम मार्ग, लोअर परेल, मुम्बई-400013 कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति के लिये)

(प्रतिभृति हित प्रवर्त्तन नियम, 2002 के नियम 8(1) के साथ पठित परिशिष्ट IV के अनुसार) जैसा कि, वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभृति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत टाटा कैपिटल फाइनांसियल सर्विसेस लि. के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना तिथि 22 फरवरी, 2021 जारी कर ऋणधारकों को उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में वर्णित राशि वापस लौटाने का निर्देश दिया था।

ऋणधारक, इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतदुद्वारा ऋणधारक तथा आम जनता को सुचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त अधिनियम के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा कर

विशेष रूप से ऋणधारकों तथा आम जनता को एतदहारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन सम्पत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय मांग सचना तिथि से उस पर ब्याज तथा दंड ब्याज, चार्जेज, लागतों आदि के साथ नीचे वर्णित राशि के लिये टाटा कैपिटल फाइनांसियल सर्विसेस लिमिटेड के चार्ज के अधीन होगा।

ऋण खाता सं.	दनदार/साावाधक उत्तराधकाारया/साावाधक प्रतिनिधियों का नाम	ाताथ का राशि	कब्जा का तिथि
8627625	 मै. मेट्रो रीअल इन्फ्रास्ट्रक्चर, द्वारा उसके प्रॉप., 3रा तल ए.एफ. टावर, 5 पार्क रोड, हजरतगंज, लखनऊ, 		28.8.2021
	उत्तर प्रदेश-226001, साथ हीः 450/498, बिरलासी लै	न, मुफ्तीगंज, लखन	ाऊ, उत्तर प्रदेश –
	226003	<u> </u>	

🛮 2. मोह. अस्करी, पुत्र जाहिद हसन 450/498, बिरलासी लेन, मुफ्तीगंज, लखनऊ, उत्तर प्रदेश– 3. मोह. मेहदी, पुत्र जाहिद हसन, 450/498, बिरलासी लेन, मुफ्तीगंज, लखनऊ, उत्तर प्रदेश-226003

प्रतिभत परिसम्पत्तियों/अचल सम्पत्तियों का विवरण: मकान सं. 463/48/187, हाता मिर्जा अली खां, वार्ड हसैनाबाद, लखनऊ, उत्तर प्रदेश में स्थित भूतल, माप 53.903 वर्ग मीटर, 161.71 वर्ग मीटर का 1/3वां भाग जिसका विशेष रूप से विवरण मोह. अस्करी के पक्ष में निष्पादित बिक्री प्रलेख तिथि 15.6.2015 में वर्णित है। चौहद्दीः पूर्वः ताहिर हुसैन का मकान, पश्चिमः मकान सं. 463/48/187 का शेष भाग, उत्तरः अनंत आकाश खुला जिसके वाद स्व. अहमद आघा का मकान, दक्षिणः 25 फीट चौड़ा रोड

तिथि: 2 अग., 2021 हस्ता./- प्राधिकृत अधिकारी स्थानः लखनऊ, उत्तर प्रदेश टाट कैपिटल फाइनांसियल सर्विसेस लिमिटेड के लिये

फोर्थ डाइमेशन सॉल्यूशन्स लिमिटेड सीआईएन: L72900DL2011PLC221111 | दूरभाष: 079-26566588

पंजीकृत कार्यालयः बंगलो नं. बीपी-13, टॉप फ्लोर, वेस्ट पटेल नगर, नई दिल्ली-110008, ई-मेल : secretarial.fdsl@amail.com | वेबसाइट : www.fdsindia.in वीसी/ओएवीएम के माध्यम से आयोजित होने वाली कम्पनी की वार्षिक आम बैठक

तथा ई-वोटिंग जानकारी की सुचना

एतद्वारा सूचना दी जाती है कि एजीएम की सूचना में निर्धारित व्यवसाय के लेन-देन हेतु फोर्थ डाइमेंशन सॉल्यूशन्र लिमिटेड (कम्पनी) के सदस्यों की वार्षिक आम बैठक (एजीएम) वीडियो कांफ्रेसिंग (वीसी)/अन्य ऑडियो विजुअल साधनों (ओएवीएम) के माध्यम से बुधवार, 29 सितम्बर, 2021 को 3.00 बजे अप. (भा.मा.स.) को आयोजित की जायेगी, एजीएम की सुचना उन सदस्यों के पास केवल इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेजी जायेगी जिनके ई-मेल पते शुक्रवार 27 सितम्बर, 2021 तक कम्पनी अथवा रजिस्ट्रार एवं अन्तरण एजेंट तथा डिपॉजिटरी के साथ पंजीकृत होंगे। एजीएम की सूचना की भौतिक प्रतियां भेजने की आवश्यकता आम बैठकों के एमसीए परिपत्र तथा आम बैठकों के सेबी परिपत्र . एजीएम की सचना सहित वार्षिक रिपोर्ट कम्पनी की वेबसाइट www.fdsindia.in तथा स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट

अर्थात www.nseindia.com पर उपलब्ध है। इसकी एक प्रति सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) की वेबसाइट www.evotingindia.com पर भी उपलब्ध है।

कट-ऑफ तिथि अर्थात बुधवार, 22 सितम्बर, 2021 तक भौतिक प्रारूप अथवा डीमैटीरियलाइज्ड प्रारूप में शेयर धारण करने वाले सदस्य एजीएम की सूचना में निर्धारित व्यवसाय पर सीडीएसएल के इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम (रिमोट ई-वोटिंग) के माध्यम से अपना मतदान कर सकते हैं। कम्पनी के सभी सदस्यों को सूचित किया जाता है कि : (i) एजीएम की सुचना में निर्धारित विशेष व्यवसाय का लेन-देन केवल इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा मतदान के माध्यम

(ii) रिमोट ई-वोटिंग रविवार, 26 सितम्बर, 2021 को 9.00 बजे पूर्वा. (भा.मा.स.) पर प्रारम्भ होगी। (iii) रिमोट ई-वोटिंग मंगलवार, 28 सितम्बर, 2021 को 5.00 बजे अप. (भा.मा.स.) पर समाप्त होगी तथा प्रस्ताव प

एक बार सदस्य द्वारा मतदान कर लेने के उपरान्त सदस्यों को बाद में इसमें परिवर्तन करने की अनुमति नहीं होगी। (iv) रिमोट ई-वोटिंग या एजीएम के दौरान ई-वोटिंग सिस्टम के माध्यम से मतदान करने हेत पात्रता निर्धारित करने की कट-ऑफ तिथि बुधवार, 22 सितम्बर, 2021 है।

(v) मंगलवार, 28 सितम्बर, 2021 को 5.00 बजे अप. (भा.मा.स.) के पश्चात रिमोट ई-वोटिंग मॉड्यूल निष्क्रिय कर

(vi) जिस व्यक्ति ने शेयर अर्जित किया है और ई–मेल द्वारा एजीएम की सुचना भेजे जाने के उपरान्त कम्पनी का सदस्य बन जाता है तथा कट-ऑफ तिथि तक शेयर धारण करता है वह ईओजीएम की सूचना में प्रावधानित ई-वोटिंग हेतू निर्देशों का अनुपालन करके मतदान कर सकता है जो कम्पनी तथा सीडीएसएल की वेबसाइट पर उपलब्ध है। किन्तु यदि व्यक्ति रिमोट ई–वोटिंग हेतु पहले से ही सीडीएसएल के साथ पंजीकृत है तो वह मतदान करने हेतु अपने मौजूदा यूजर आईडी तथा पासवर्ड का प्रयोग कर सकता है। सदस्य कृपया संशोधित ई-वोटिंग निर्देशों को ध्यान से देख लें जो एजीएम की सूचना में प्रावधानित है। (vii) सदस्य ध्यान दें कि (क) जिस सदस्य ने एजीएम के पूर्व रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना मतदान कर लिया है वह

एजीएम में वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से भाग ले सकता है किन्तु वह एजीएम के दौरान ई-वोटिंग व माध्यम से मतदान करने का पात्र नहीं होगा, (ख) एजीएम में भाग लेने वाले सदस्य तथा जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से अपना मतदान नहीं किया है वे एजीएम के दौरान रिमोट ई-वोटिंग सिस्टम के माध्यम से अपना मतदान कर सकते हैं, (ग) कोई व्यक्ति जिसका नाम कट-ऑफ तिथि तक सदस्यों के रजिस्टर या डिपॉजिटरी द्वारा अनुरक्षित लाभार्थी स्वामियों के रजिस्टर में दर्ज है केवल वे ही एजीएम में वीसी/ओएवीएम सविधा अथवा एजीएम के दौरान ई-वोटिंग सविधा के माध्यम से एजीएम में रिमोट ई-वोटिंग सविधा प्राप्त करने के पात्र होंगे। (viii) रिमोट ई-वोटिंग से सम्बन्धित विवरण के लिए कृपया एजीएम की सुचना का सन्दर्भ लें, ई-वोटिंग से सम्बन्धित

किसी पूछताछ के मामले में www.evotingindia के डाउनलोड खण्ड देखें अथवा 022-23023333 अथवा टोल-फ्री नं. 1800225533 पर सम्पर्क करें। ई-वोटिंग हेतु सुविधा से सम्बन्धित किसी शिकायत के मामले में कृपया श्री राकेश दलवी/श्री नितिन कुन्दर/श्री सूरज शर्मा, सीडीएसएल के प्रबन्धक, ए विंग, 25वीं मंजिल, मैराथन फ्यूचर्स, मफतलाल मिल कम्पाउण्ड्स, एन.एम. जोशी मार्ग, लोअर परेल (पूर्व) मुम्बई-400013 से सम्पर्क करें या helpdesk.evoting@cdslindia.com पर ई-मेल भेजें।

(ix) निष्पक्ष तथा पारदर्शी ढंग से रिमोट ई-वोटिंग तथा एजीएम के दौरान ई-वोटिंग के लिए अनीशा झुनझुनवाला एण्ड एसोसिएट्स, कार्यरत कम्पनी सचिव को संवीक्षक नियुक्त किया गया है।

(x) कम्पनी के जिन सदस्यों ने अपने ई-मेल पते कम्पनी के साथ पंजीकृत नहीं कराये हैं secretarial.fdsl@gmail.com पर ई-मेल भेजकर कम्पनी के साथ इसे पंजीकृत करा सकते हैं।

तिथि : 02 सितम्बर, 2021 ह./- आशीष ठाकु कम्पनी सचि

पैरामाउन्ट कम्यनिकेशन्स लि. PARAMOUNT CIN: L74899DL1994PLC061295 पंजी. कार्यालयः पैरामाउन्ट हाउस, सी-125, नारायणा औद्योगिक क्षेत्र, फेज-1, नई दिल्ली-110028

ईमेलः pcl@paramountcables.com, वेबसाईटः www.paramountcables.com फोन: 011-45618800, फैक्स: 011-25893719/20 27वीं वार्षिक आम बैठक से सम्बन्धित सूचना

एतदुद्वारा सूचित किया जाता है कि कम्पनी अधिनियम, 2013 एवं उसके तहत निर्मित नियमों तथ कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) द्वारा जारी साधारण परिपत्र दिनांक 13 जनवरी, 2021, 8 अप्रैल 2020, 13 अप्रैल, 2020 तथा 5 मई, 2020 के साथ पठित भारतीय प्रतिभृति एवं विनिमय बोर्ड (''सेबी'') के प्रावधानों (सामृहिक रूप से प्रासंगिक परिपत्र सन्दर्भित) के अनुपालन कम्पनी की 27वीं वार्षिक साधारण सभा ('एजीएम') मंगलवार, 28 सितम्बर, 2021 को 4.30 बजे अप. में विडियो कान्फ्रेंसिंग (''वीसी'')/अन्य ऑडियों विजुअल माध्यमों (''ओएवीएम'') द्वारा आयोजित की जायेगी जिसमें एजीएम की सूचना में निर्दिष्ट साधारण तथा विशेष व्यवसायों को निष्पादित किया जायेगा

वीसी/ओएजीएम के माध्यम से एजीएम में शामिल होने वाले सदस्यों की गणना कम्पनी अधिनियम 2013 के तहत कोरम परा करने के उददेश्य से की जायेगी। उपरोक्त सर्क्युलर्स के अनुपालन में वित्त वर्ष 2020-21 की वार्षिक रिपोर्ट सहित एजीएम की सुचना, वित्तीय विवरण, बोर्ड की रिपोर्ट, लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट एवं उसके साथ संलग्न किये जाने वाले अन्य दस्तावेजों की इलेक्ट्रॉनिक प्रतियाँ ऐसे सभी सदस्यों को भेजी जायेंगी जिनके ईमेल आईडी कम्पनी/डिपॉजिटरी भागीदारों के पास पंजीकृत हैं। उपर्युक्त दस्तावेज कम्पनी की वेबसाइट www.paramountcables.com तथा स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइट अर्थात

www.bseindia.com तथा www.nseindia.com और लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की वेबसाइट https://instavote.linkintime.co.in पर भी उपलब्ध हैं। कम्पनी एजीएम की सूचना में निर्धारित सभी प्रस्तावों पर अपना मतदान करने हेतू अपने सभी सदस्यों को रिमोट ई–वोटिंग सुविधा (''रिमोट ई–वोटिंग'') उपलब्ध करा रही है। कम्पनी एजीएम के दौरान ई–वोटिंग पद्धति (''ई–वोटिंग'') की सुविधा भी उपलब्ध करा रही है। रिमोट ई–वोटिंग/ई–वोटिंग तथा

वीसी/ओएवीएम में भाग लेने की विस्तृत प्रक्रिया एजीएम की सूचना में उपलब्ध कराई गयी है तथा इसे शीघ्र ही प्रयोज्य काननों के अनसार शेयरधारकों के पास भेज दिया जायेगा। यदि आपने कम्पनी/डिपॉजिटरी के पास अपने ईमेल पते पंजीकृत नहीं कराये हैं तो वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त

करने के लिये अपने ईमेल आईडी के पंजीकरण के लिये निम्न निर्देशों का अनुसरण करें :

डीमैट पद्धति में कम्पनी का शेयर धारिता करनें वाले सदस्यों तथा जिन्होंने अपने ईमेल प पंजीकृत नहीं कराये हैं, वे लिकः https://linkintime.co.in/emailreg email register.html पर क्लिक कर उसमें दी गई पंजीकरण प्रक्रिया का अनुसरण क कम्पनी के रजिस्ट्रार तथा शेयर अंतरण एजेन्ट मै. लिक इन्टाइम इंडिया प्राईवेट लिमिटेड के पास उसे अस्थाई रूप से पंजीकत करा सकते हैं। किसी भी प्रकार की पछताछ के लिये सदस्य rnt.helpdesk@linkintime.co.in पर मै. लिक इन्टाइम इंडिया प्राईवेट लिमिटेड के पास ईमेल भेज सकते हैं। स्पष्ट किया जाता है कि अपनी डीमैट खाता में ईमेल पते तथा बैंक के विवरणों के स्थाई पंजीकरण के लिये सदस्यों से आग्रह है कि संबंधित डिपॉजिटरी पार्टिसिपैन्ट ('डीपी') से सम्पर्क करें तथा डीपी की सलाह से प्रक्रिया क अनुसरण करें।

भौतिक धारिता भौतिक पद्धति में कम्पनी का इक्विटी शेयर धारित करने वाले सदस्य तथा जिन्होंने अपने ईमेल पते एवं/अथवा बैंक खाता के विवरणों को पंजीकृत नहीं कराये हैं. वे लिंक https://linkintime.co.in/emailreg/email register.html पर क्लिक कर उसमें दी गई पंजीकारण प्रक्रिया का अनुसरण कर कम्पनी के रजिस्ट्रारा तथा शेयर अंतरण एजेन्ट मै. लिक इन्टाइम इंडिया प्राईवेट लिमिटेड के पास उसे अस्थाई रूप से पंजीकृत करा सकते हैं। किसी भी प्रकार की पूछताछ के लिये सदस्य rnt.helpdesk@linkintime.co.in पर मै. लिंक इन्टाइम इंडिया प्राईवेट लिमिटेड के पास ईमेल भेज सकते हैं।

उपर्युक्त मामले पर किसी पूछताछ के लिए कम्पनी के शेयरधारक कृपया निम्नलिखित से सम्पर्क करें मै. लिंक इन्टाइम इंडिया प्राईवेट लिमिटेड,

नोवल हाइट्स, 1ला तल, प्लॉट नं. एनएच-2, सी-1 ब्लॉक, एलएलसी, सावित्री मार्केट के निकट, जनकपुरी, नई दिल्ली- 110058

टेलीः 011-41410592/93/94, टेलीफैक्सः 011-41410591, delhi@linkintime.co.in

पैरामाउन्ट कम्युनिकेशन्स लिमिटेड के लिये

राशि गोयल

तिथि: 01.09.2021 स्थानः नई दिल्ली कम्पनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी ANTARCTIC INDUSTRIES LIMITED

G-1, GROUND FLOOR, GAGANDEEP BUILDING RAJENDRA PALACE, NEW DELHI DL 110008

Email: antarctic44@gmail.com CIN: L29212DL1983PLC088911 Notice is hereby given that the Annual General Meeting of the Company will be held on Thursday on 30th September, 2020 at Gagandeep Building, G-1, GROUND FLOOR, Rajendra Place, New

Delhi, Delhi 110008 AT 11.00 A.M. to transact the businesses as mentioned in the Notice. Pursuant to Section 108 of the Companies Act, 2013, read with the relevant Rules of the Act, the Company shall be providing the facility of remote e-voting through NSDL The e-voting shall commence from 27th September, 2021 at 9 A.M. and end on 29th September,

2021 at 5 P.M. Cut-off date for e-voting is 23rd September, 2021. The facility for voting through ballot paper shall be made available at the AGM only. The Company has appointed Mr. Rahul Jain, Practicing Chartered Accountant, (C.O.P No.-304099) to act as Scrutinizer for conducting voting process in fair and transparent manner.

Register of Member & share Transfer Book shall remain closed from 24th September, 2021 to 30th September, 2021 (both days inclusive). By Order of the Board FOR ANTARCTIC INDUSTRIES LIMITED

SANJAY JAIN DIRECTOR DIN 00528310

एसएबी इंडस्ट्रीज लिमिटेड

CIN: L00000CH1983PLC031318

पंजी कार्यालयः एससीओ ४९-५०, सैक्टर २६, मध्य मार्ग, चंडीगढ़- १६००१९

टेलीफोन: +91-172-2793112, फैक्स: +91-172-2794834

इमेल: ssl_ssg@glide.net.in, वेबसाइट: www.sabindustries.in 37वीं वार्षिक सामान्य बैठक, ई-वोटिंग जानकारी

तथा किताब बंदी की सचना एतदद्वारा सुचना दी जाती है कि:-

Place: Delhi

Date:02.09.2021

कंपनी को 37वीं वार्षिक सामान्य बैठक (37वीं एजीएम) सूचना दिनांक 13.08.2021 में तय अनुसार व्यापार को करने के लिए कंपनी के पंजीकत कार्यालय एससीओ 49-50, सैक्टर-26, मध्य मार्ग, चंडीगढ़-160019 में वीरवार, 30 सितंबर, 2021 को अपराहन 03.00 बने आयोजित होना

37वीं एजीएम (सूचना) की सूचना और वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट की प्रतियां सभी सदस्यों को इलैक्ट्रॉनिक विधि में पंजीकृत पतों पर भेज दी गई है जिनको ई-मेल आइडी कंपनी/डिपॉजिटरी पार्टिसिपेट्स के साथ पंजीकृत है। घेजने का कार्य 30 अगरत, 2021 को पुरा कर लिया गया है और जो कंपनी की वेबसाइट www.sabindustries.in पर भी उपलब्ध है। कट ऑफ तिथि 23 सितंबर, 2021 को भौतिक विधि या डिमैटरिलाइज्ड रूप में शेवरधारक सदस्य सुचना में तय किए सामान्य और विशेष व्यापार पर सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेन (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) के इलैक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम के माध्यम से अपने वोट इलैक्ट्रॉनिकली डाल सकते हैं। कोई व्यक्ति जो बैठक की सुचना भेजने के बाद कंपनी का सदस्य बना है तथा कट ऑफ तिथि

अर्थात 23 सितंबर, 2021 को शेवरधारक है वो रिमोट ई-वोटिंग के लिए एजीएम सूचना में वर्णित अनुसार निर्देशों का अनुपालन कर सकते हैं। यदि सदस्य रिमोट ई-वोटिंग के लिए सीडीएसएल के साथ पहले से पंजीकृत है वो रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से वर्तमान युकर आइती तथा पासवर्ड का प्रयोग कर सकता है।

सदस्य रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से वोट का प्रयोग करने के बाद भी एजीएम में भाग ले सकता है परंतु एजीएम में दोबारा वोट डालने की अनुमति नहीं दी जाएगी। दोनों विधियों द्वारा वोट डाले जाने की स्थिति में, रिमोट ई-वोटिंग द्वारा डाले गए वोट को अंतिम विचारा जाएगा।

सदस्यों को सुचित किया जाता है कि (क) रिमोट ई-चोटिंग 27 सितंबर, 2021 को प्रात: 9.00 बजे शुरू होगी तथा 29 सितंबर, 2021 को सार्य 5.00 वजे बंद होगी। (ख) दिनांक 29 सितंबर, 2021 को साथं 5,00 बने के बाद इलैक्टॉनिक विधि के माध्यम से वोटिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी (ग) इलैक्ट्रॉनिक विधि के माध्यम से वोटिंग से संबंधित किसी पृछताछ की स्थिति में सदस्य फ्रीक्वेटली आरक्ड क्वेश्चन्स ("एफएक्य्") को देख सकते हैं और www.evotingindia.com के डाउनलोड सैक्शन में उपलब्ध ई-बोटिंग मैन्युवल को देखें या टोल फ्री नं. 1800225533 पर संपर्क करें या श्री महबूब लक्षानी, सीडीएसएल से इमेल: mehboobl@cdslindia.com टेली. 022-23058543/615 पर संपर्क करें।

कंपनीत एक्ट, 2013 तथा इसके अधीन लागू नियमों की धारा 91 के अनुवर्ती, कंपनी के सदस्यों का रजिस्टर तथा शेयर ट्रांसफर चुक वार्षिक सामान्य बैठक (एजीएम) के उद्देश्य से 24 सिठंबर, 2021 से 30 सितंबर, 2021 (दोनों दिनों को मिलाकर) बंद रहेगी।

कृते एसएबी इंडस्ट्रीज लिमिटेड

संजय गर्ग, निदेशक

द्वीआईएन-०००३००५६

स्थानः चंडीगढ्

दिनांक: 01.09.2021

इंडियन अक्रिलिक्स लिमिटेड CIN: L24301PB1986PLC006715

पंजी कार्यालयः गांथ हर्राकशनपुरा उप तहसील भवानीगढ्, जिला संगरूर (पंजाब)-148026

ई-मेल: shares@Indianacrylics.com, येवसाइट: www.indianacrylics.com फोन: +91-172-2793112, फैक्स: +91-172-2794834

34वीं वार्षिक सामान्य बैठक, ई-वोटिंग जानकारी तथा किताब बंदी की सूचना

एतद्द्वारा स्चना दी जाती है कि:-

कंपनी की 34वीं वार्षिक सामान्य बैठक (34वीं एजीएम) सूचना दिनांक 13.08.2021 में तथ अनुसार व्यापार को करने के लिए कंपनी के पंजीकृत कार्यालय गांव हरकिशनपुरा, उप-तहसील भयानीगढ़, जिला संगरूर (पंजाब)-148026 में बुधवार, 29 सितंबर, 2021 को पूर्वाह्न 11.00 वजे

34वीं एजीएम (सुचना) की सुचना और वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट की प्रतियां सभी सदस्यों को इलैक्ट्रॉनिक विधि में पंजीकृत पतों पर भेज दो गई हैं जिनकी ई-मेल आइडी कंपनी/डिपॉजिटरी पार्टिसिपेट्स के साथ पंजीकृत है। भेजने का कार्य 30 अगस्त, 2021 को पूरा कर लिया गया है और जो कंपनी की वेबसाइट www.indianacrylics.com पर भी उपलब्ध है। कट ऑफ तिथि 22 सितंबर, 2021 को भौतिक विधि या डिमैटरिलाइज्ड रूप में शेवरधारक सदस्य

सुचना में तय किए सामान्य और विशेष व्यापार पर सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) के इलैक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम के माध्यम से अपने वोट इलैक्ट्रॉनिकली डाल सकते हैं। कोई व्यक्ति जो बैठक की सूचना भेजने के बाद कंपनी का सदस्य बना है तथा कट ऑफ तिथि अर्थात 22 सितंबर, 2021 को शेवरधारक है वो रिमोट ई-वोटिंग के लिए एजीएम सुचना में वर्णित अनुसार निर्देशों का अनुपालन कर सकते हैं। यदि सदस्य रिमोट ई-वोटिंग के लिए सीडीएसएल के साथ पहले से पंजीकृत है वो रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से वर्तमान यूजर आइडी तथा पासवर्ड का

सदस्य रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से वोट का प्रयोग करने के बाद भी एजीएम में भाग ले सकता है परंतु एजीएम में दोबारा वोट डालने की अनुमति नहीं दी जाएगी। दोनों विधियों हारा वोट डाले जाने की रिथति में, रिमोट ई-बोटिंग द्वारा डाले गए बोट को अंतिम विचारा जाएगा।

सदस्यों को सुचित किया जाता है कि (क) रिमोट ई-चोर्टिंग 26 सितंबर, 2021 को प्रात: 9.00 बजे शुरू होगी तथा 28 सितंबर, 2021 को सार्य 5.00 वजे बंद होगी। (ख) दिनांक 28 सितंबर, 2021 को सार्य 5.00 बजे के बाद इलैक्ट्रॉनिक विधि के माध्यम से वोटिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी। (ग) इलैक्ट्रॉनिक विधि के माध्यम से वोटिंग से संबंधित किसी पृछताछ की स्थित में सदस्य फ्रीक्वेटली आस्वड क्वेश्चन्स ("एफएक्यू") को देख सकते हैं और www.evotingindia.com के डाउनलोड सैक्शन में उपलब्ध ई-वोटिंग मैन्युवल को देखें या टोल फी नं. 1800225533 पर ग्रंपकं करें या श्री महसूब लखानी, सीडीएसएल से इंमेल: mehboobl@cdslindia.com टेली. 022-23058543/615 पर संपर्क करें।

कंपनीज एक्ट, 2013 तथा इसके अधीन लागु निवमों की धारा 91 के अनुवर्ती, कंपनी के सदस्यों का रजिस्टर तथा शेयर ट्रांसफर सुक वार्षिक सामान्य बैठक (एजीएम) के उद्देश्य से 23 सितंबर, 2021 से 29 सितंबर, 2021 (दोनों दिनों को मिलाकर) बंद रहेगी।

कृते इंडियन अक्रिलिक्स लिमिटेड दिनांक: 01.09.2021

स्थानः चंडीगढ

भवनेश के गुप्ता, एफसीएस-3255 जीएम तथा कंपनी सचिव जिन्दल पॉली इन्वेस्टमेंट एण्ड फाइनेंस कम्पनी लिमिटेड

सीआईएन : L65923UP2012PLC051433 पंजीकृत कार्यालय : 19 किमी, हापुड़-बुलन्दशहर रोड, पो.ऑ. गुलावठी, जिला बुलन्दशहर, उत्तर प्रदेश-245408, कॉर्पोरेट कार्यालय : प्लॉट सं. 12 सेक्टर-बी1, एल.एस.सी., वसन्त कुंज, नई दिल्ली-110070 दूरभाष नं. : (011) 40322100 ई-मेल : cs_jpifcl@jindalgroup.com, वेबसाइट : www.jpifcl.com,

सार्वजनिक सुचना : 9वीं वार्षिक आम बैठक यह सचनार्थ है कि कोविड-19 के व्यापक प्रसार के मददेनजर, जिन्दल पॉली इन्वेस्टमेंट एण्ड फाइनेंस कम्पनी लिमिटेड (''कम्पनी'') की 9वीं वार्षिक आम बैठक एजीएम की सचना निर्धारित प्रकार्य पर लेन–देन हेत कॉर्पोरेट मामले मन्त्रालय द्वारा निर्गत सामान्य परिपत्र दिनांक 1; जनवरी, 2021, 5 मई, 2020, 8 अप्रैल, 2020 तथा 13 अप्रैल, 2020 एवं समय-समय पर जार्र अन्य सभी प्रासंगिक परिपत्रों (सामृहिक रूप से परिपत्र सन्दर्भित) तथा भारतीय प्रतिभृति एव विनिमय बोर्ड के परिपत्र दिनांक 12 मई, 2020 तथा 15 जनवरी, 2021 (सेबी परिपत्र) के अनुपालन में वीडियो कांफ्रेंसिंग (वीसी)/अन्य ऑडियो विजअल साधनों (ओएवीएम) के माध्यम से बधवार, 29 सितम्बर, 2021 को 11.00 बजे पर्वा. आयोजित की जायेगी।

9वीं एजीएम की सूचना तथा वित्त वर्ष 2020-21 की वार्षिक रिपोर्ट केवल इलेक्ट्रॉनिक माध्यम रे उन सदस्यों के पास भेजे जायेंगे जिनके ई-मेल पते कम्पनी/डिपॉजिटरी भागीदार के साथ पंजीकृत हैं। तथा साथ ही कम्पनी की वेबसाइट www.jpifcl.com तथा स्टॉक एक्सचेंजों अर्थात नेशनल नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इण्डिया लिमिटेड (एनएसई) की वेबसाइट www.nseindia.com तथा बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट www.bseindia.com पर उपलब्ध होंगे।

शेयरधारकों को एजीएम की सूचना में निर्धारित प्रकार्य पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम के माध्यम से सुदुर से अपना मतदान करने का अवसर होगा। डीमैट माध्यम, भौतिक माध्यम में शेयर धारण करने वाले शेयरधारकों एवं जिन्होंने अपने ई-मेल पते पंजीकृत नहीं कराये हैं उनके लिए ई-वोटिंग की रीति एजीएम की सचना में प्रावधानित की जायेगी।

सदस्य एजीएम में केवल वीसी/ओएवीएम के माध्यम से भाग ले सकते हैं जिसका विवरण एजीएम की सूचना में कम्पनी द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा। वीसी/ओएवीएम के माध्यम से बैठक गं उपस्थित होने वाले सदस्यों की गणना अधिनियम की धारा 103 के तहत कोरम पुरा करने के उद्देश्य से की जायेगी अतः सदस्यों से निवेदन है कि वे निम्नलिखित प्रक्रिया का अनेपालन कर-के अपने ई-मेल पते अपडेट करा लें :

भौतिक धारिता शेयरधारकों केफिनटेक https://ris.kfintech.com/clientservices/mobileemail reg.aspx देखने का निवेदन है जहाँ निम्नलिखित सूचना प्रविष्ट करनी होंगी: कम्पनी का नाम : जिन्दल पॉली इन्वेस्टमेंट एण्ड फाइनेंस कम्पनी लिमिटेड धारिता का प्रकार : भौतिक फोलियो नं. : जैसा शेयर प्रमाणपत्र में दिया है पैन विवरण :

शेयरधारकों डीमैट धारिता केफिनटेक https://ris.kfintech.com/clientservices/mobilreg/mobileemail reg.aspx देखने का निवेदन है जहाँ निम्नलिखित सूचना प्रविष्ट करनी होंगी:

कम्पनी का नाम : जिन्दल पॉली इन्वेस्टमेंट एण्ड फाइनेंस कम्पनी लिमिटेड धारिता का प्रकार : सीडीएसएल/एनएसडीएल (जैसा मामला हो) डीपी आईडी तथा क्लाइंट आईडी प्रविष्ट करें : पैन विवरण उपर्युक्त विवरण भरने के उपरान्त शेयरधारक की ई-मेल आईडी पंजीकृत हो जायेगी।

उपर्येक्त सचना कम्पनी के सभी सदस्यों की सचना तथा लाभ के लिए निर्गत की जा रही है तथ एमसीए परिपत्र(त्रों) एवं सेबी परिपत्र के अनुपालन में है।

कृते जिन्दल पॉली इन्वेस्टमेंट एण्ड फाइनेंस कम्पनी लिमिटेड

स्थान : नई दिल्ली साक्षी मेंदीरत्त तिथि : 01.09.2021 (कम्पनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी

www.readwhere.com

स्थान : नोएडा

दिनांक: 01.09.2021